गौरव पेट्रोल पम्प को किया गया सील संपत्तिकर जमा नहीं करने पर

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 02 वैशाली नगर स्थित ओम शांति ओम चौंक के पास स्थित गौरव पेट्रोल पम्प को आयुक्त बजरंग दुबे के आदेश पर सील किया गया। सनद रहे कि गौरव पेट्रोल पम्प विगत 2011–12 से अब तक संपत्तिकर एवं अन्य कर की राशि निगम कोष में जमा नहीं कर रहा था। उसको संपत्तिकर जमा करने के लिए बार–बार नोटिस भी जारी किया गया था। किन्तु उनके द्वारा अब तक संपत्तिकर की राशि 1636934. निगम कोष में जमा नहीं किया गया। आयुक्त बजरंग दुबे के संज्ञान में जैसे ही आया, उन्होने नगर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी कर पेट्रोल पम्प को सील करने का आदेश दिया। आदेश के परिपालन में जोन राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी अपने दल के साथ गौरव पेट्रोल पम्प पर उपस्थित हुए। उनको देखकर सब आना कानी करने लगे, फिर वही बातें आज नहीं कल करेगें। अभी छूट दे दिजीए, यह सब एक भी नही चला। आयुक्त के आदेश का परिपालन हुआ गौरव पेट्रोल पम्प पर नगर निगम का विधिवत ताला चपड़ा लगाकर नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही की गई। ज्ञात हो कि जो भी बकायादार संपत्तिकर की राशि जमा नहीं कर रहे हैं उनको निगम द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है। सभी पर कार्यवाही की जावेगी। समय अवधि के अंतर्गत संपत्तिकर की राशि जमा करना अनिवार्य है। कार्यवाही के दौरान अरूण सिंह, दिनेश बेलचंदन, कन्हैया यादव, मंगल जांगड़े, राजेन्द्र सिंह, विष्णु सोनी, गौरकरण कुर्रे, खेमराज आदि सीलिंग की कार्यवाही में उपस्थित रहे।